स्वच्छ भारत अभियान

दिनांक 21.11.2017
स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

जिन अवैध कब्जाधारियों को नगर निगम ने बेदखली का नोटिस दिया है वे स्वयं हटा लेवें

भिलाईनगर/ आयुक्त के0एल0 चौहान के मार्गदर्शन में नगर निगम, भिलाई क्षेत्र के सड़क के किनारे अवैध कब्जा कर सड़क को अवरुद्ध करने वालों पर कार्यवाही सप्ताह अनुसार जारी है। इसी के तारतम्य में 24 व 25 नवम्बर को जोन 03 मदर टेरेसा नगर के 18 नम्बर रोड से जीई रोड से लगा हुआ पावर हाउस चौक तक 32 दुकानों को, नंदनी रोड नाले से पावर हाउस चौक तक 36 दुकानों पावर हाउस रेल्वे स्टेशन से लगा हुआ 13 दुकानों को चिन्हाकिंत कर उन्हे नोटिस दिया गया है। उन सभी दुकानों पर निगम प्रशासन, यातायात पुलिस बल, एवं जिला प्रशासन द्वारा हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

आयुक्त के0एल0 चौहान ने सभी कब्जाधारियों से अपील की है कि स्वयं के व्यय से समय रहते अपने कब्जों को खाली कर देवें निगम प्रशासन द्वारा खाली कराने पर जो भी सामान की क्षति होगी उसकी जिम्मेदारी स्वयं कब्जाधारी का होगा। सड़क पर हुए अवैध कब्जे से यातायात प्रभावित होता है इसमें ज्यादातर दुकानों में जुस कार्नर, पान ठेला, मिट्टी के मटका सुराही विक्रेता, जुता चप्पल विक्रेता, फर्नीचर दुकान, होजियरी, आदि के हैं।

यह देखने में आया है कि बहुत से पुरानी गाड़ियों के विक्रेता या मैकेनिक गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़े कर दिये हैं जो सड़क को अवरुद्ध कर दिया है पुरानी गाड़ियो से पुराने पार्ट्स निकालकर बेचते रहते हैं गाड़ी की पुरी बॉडी रोड में पड़ी रहती है ऐसे व्यापारियों पर यातायात पुलिस बल द्वारा विशेष कार्यवाही की जायेगी। महिला पुलिस बल के सदस्य बेदखली अभियान में सहयोगी के रुप में उपस्थित रहेंगी।

निगम आयुक्त श्री चौहान ने जोन आयुक्त जोन 03 को सक्त निर्देश दिये हैं कि वे निर्धारित दिनांक को सभी आवश्यक व्यवस्था के साथ अतिक्रमण हटाये जाने की मुहिम की व्यवस्था सुनिश्चित करें।